

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II,  
SECTION-3, SUB-SECTION (ii)]

Government of India  
Ministry of Finance  
(Department of Revenue)  
(Central Board of Excise and Customs)

Notification

No. 73/2014-CUSTOMS (N. T.)

New Delhi, 29<sup>th</sup> August, 2014  
6 Bhadrapada, 1936 (SAKA)

S.O. ... (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise & Customs, being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 36/2001-Customs (N.T.), dated the 3<sup>rd</sup> August, 2001, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide number S. O. 748 (E), dated the 3<sup>rd</sup> August, 2001, namely:-

In the said notification, for TABLE-1, TABLE-2, and TABLE-3 the following Tables shall be substituted namely:-

“TABLE-1

Sl. No.	Chapter/ heading/ sub-heading/ tariff item	Description of goods	Tariff value US \$ (Per Metric Tonne)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1511 10 00	Crude Palm Oil	743
2	1511 90 10	RBD Palm Oil	752
3	1511 90 90	Others - Palm Oil	748
4	1511 10 00	Crude Palmolein	771
5	1511 90 20	RBD Palmolein	774
6	1511 90 90	Others - Palmolein	773
7	1507 10 00	Crude Soyabean Oil	890
8	7404 00 22	Brass Scrap (all grades)	4077
9	1207 91 00	Poppy seeds	3429

Contd...2/...

TABLE-2

Sl. No.	Chapter/ heading/ sub-heading/ tariff item	Description of goods	Tariff value (US \$)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	71 or 98	Gold, in any form, in respect of which the benefit of entries at serial number 321 and 323 of the Notification No. 12/2012-Customs dated 17.03.2012 is availed	420 per 10 grams
2	71 or 98	Silver, in any form, in respect of which the benefit of entries at serial number 322 and 324 of the Notification No. 12/2012-Customs dated 17.03.2012 is availed	645 per kilogram

TABLE-3

Sl. No.	Chapter/ heading/ sub-heading/ tariff item	Description of goods	Tariff value (US \$ Per Metric Tons )
(1)	(2)	(3)	(4)
1	080280	Areca nuts	2017''

[F. No. 467/01/2014-Cus-5 Pt.I]

(SATYAJIT MOHANTY)  
Director (ICD)

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide Notification No. 36/2001-Customs (N.T.), dated the 3<sup>rd</sup> August, 2001, vide number S. O. 748 (E), dated the 3<sup>rd</sup> August, 2001 and was last amended vide Notification No. 71/2014-Customs (N.T.), dated the 14<sup>th</sup> August, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide number S. O 2058 (E) Dated, the 14<sup>th</sup> August, 2014.

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-००, खंड-3, उपखंड (००) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

सं. 73/2014-सीमा शुल्क (गै. टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त, 2014

6 भाद्रपद, 1936 (शक)

का. आ. (अ).- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा शुल्क (गै. टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, जिसे का. आ. 748 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत प्रकाशित किया गया था में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी-1, सारणी-2 और सारणी-3 के स्थान पर निम्नलिखित सारणियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:-

"सारणी-1

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/उप शीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य अमरीकी डालर (प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1511 10 00	कच्चा पॉम ऑयल	743
2	1511 90 10	आर बी डी पॉम ऑयल	752
3	1511 90 90	अन्य पॉम ऑयल	748
4	1511 10 00	कच्चा पामोलिन	771
5	1511 90 20	आर बी डी पामोलीन	774
6	1511 90 90	अन्य पामोलीन	773
7	1507 10 00	सोयाबीन का कच्चा तेल	890
8	7404 00 22	पीतल स्क्रैप (सभी ग्रेड)	4077
9	1207 91 00	पोस्त बीज	3429

....2/.....

सारणी-2

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/ उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य अमरीकी डालर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	71 या 98	स्वर्ण, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमा शुल्क, दिनांक 17.03.2012 की प्रविष्टि संख्या 321 और 323 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो	420 प्रति 10 ग्राम
2	71 या 98	रजत, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमा शुल्क, दिनांक 17.03.2012 की प्रविष्टि संख्या 322 और 324 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो	645 प्रति किलोग्राम

सारणी-3

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/ उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य अमरीकी डालर (प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	080280	सुपारी	2017"

[फा. सं. 467/1/2014 -सीमा शुल्क-V Pt.I]

(सत्यजीत मोहंति)

निदेशक, भारत सरकार

नोट:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-00, खंड-3, उपखंड (00) में अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा शुल्क (गै. टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, का. आ. 748 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत प्रकाशित की गई थी, तथा यह अंतिम बार अधिसूचना सं. 71/2014-सीमा शुल्क (गै. टै.), दिनांक 14 अगस्त, 2014, जिसे का. आ. 2058 (अ) दिनांक 14 अगस्त, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-00, खंड-3, उपखंड (00) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधित की गई थी।